न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 13/2020 अपील/बांसवाडा
पंजीयन दिनांक– 03.02.2020
निर्णय दिनांक– 13.08.2020

1. श्री हुरपाल पिता श्री मडिया कटारा भील, वार्ड पंच वार्ड नम्बर–3 निवासी नवागांव, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाडा (राज.)
2. श्री सोहनलाल पिता श्री देवचन्द कटारा भील, वार्ड पंच वार्ड नम्बर–2 निवासी नवागांव, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाडा
3. श्रीमती खेतु पत्नि श्री शंकरलाल कटारा भील, वार्ड पंच वार्ड नम्बर–1 निवासी नवागांव, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाडा

..... अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, बांसवाडा (राज.)
2. तहसीलदार, सज्जनगढ़, जिला बांसवाडा (राज.)
3. सरपंच, ग्राम पंचायत नवागांव, पंचायत समिति सज्जनगढ़, जिला बांसवाडा (राज.)

.....रेस्पोडेन्ट्स

अधिवक्ता :
श्री महेश भट्ट : अधिवक्ता अपीलान्ट
राजकीय अभिभाषक : अधिवक्ता रेस्पोडेंट (रेस्पो. संख्या 1 व 2)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध जिला कलक्टर, बांसवाडा के आदेश क्रमांक
एफ 2 (80) राज./2016/381 दिनांक 26.03.2018

निर्णय

दिनांक–13.08.2020

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध जिला कलक्टर, बांसवाडा के आदेश क्रमांक एफ 2 (80) राज./2016/381 दिनांक 26.03.2018 के विरूद्ध

दिनांक 29.09.2018 को मय प्रा0पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 के साथ न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर, कैम्प बांसवाडा को पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 15.01.2020 को दर्ज की गई। जिला बांसवाडा से संबंधित क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को होने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानान्तरित होकर दिनांक 03.02.2020 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर, बांसवाडा के आदेश क्रमांक एफ 2 (80) राज./2016/381 दिनांक 26.03.2018 से ग्राम पंचायत नवागांव के अटल सेवा केन्द्र हेतु सर्वे नम्बर 617/200 की भूमि में से रकबा 1 एकड भूमि का आवंटन किया गया है। पूर्व में जिला कलक्टर, बांसवाडा के आदेश क्रमांक एफ (80) राज./2016/1952–58 दिनांक 27.04.2017 को गांव नवागांव में स्थित सर्वे नम्बर 623/383 रकबा 1 एकड एवं सर्वे नम्बर 495/385 रकबा 1 एकड भूमि आवंटित की गई थी। उक्त भूमि गांव के खातेदारों ने अन्य सरकारी कार्यालयों के पास स्थित होने से पंचायत भवन क निर्माण हेतु समर्पण की गई है। उक्त आवंटन के पश्चात् सरपंच, सरपंच पति व उसके पुत्र ने पंचायत के अन्य राजस्व ग्रामों के रहने वाले व्यक्तियों को कठिनाई उत्पन्न करने के उदेश्य से फर्जी प्रस्ताव बनाकर एवं राजनेतिक प्रभाव का उपयोग करते हुए तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी पर दबाव डालकर झुठी अनुशंषा कराकर पुर्व में आवंटित भूमि जिला कलक्टर, बांसवाडा से आवंटन निरस्त कराकर सर्वे नम्बर 617/200 की भूमि में से 1 एकड भूमि आवंटन जरिये आदेश दिनांक 26.03.2018 द्वारा कराया गया है। ग्राम नवागांव का अटल सेवा केन्द्र का भवन निर्माण हेतु आवंटित कर दोषपूर्ण कृत्य करते हुए जीवनपर्यन्त के लिए आम जनता लोककंटक पैदा कर रहे है। जिला कलक्टर, बांसवाडा ने तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी, सज्जनगढ़ की गलत रिपोर्ट के आधार पर भूमि आवंटन करने में पूर्णतया विधि विपरीत कार्य किया है जिससे अप्रसन्न होकर ग्रामवासी ग्राम पंचायत नवागांव के वार्ड पंच एवं ग्राम सभा के प्रतिनिधियों की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने का निवेदन किया है।

उक्त आवंटन के निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री महेश भट्ट उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। एवं रेस्पोडेंट संख्या–4 के अधिवक्ता अनुपस्थित। उभय पक्ष अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 06.08.2020 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि जिला कलक्टर, बांसवाडा का सर्वे नम्बर 617/200 रकबा 1 एकड भूमि भूमि वाके ग्राम नवागांव का अवांटन राजस्थान भू–राजस्व (स्कूल, कॉलेज, चिकित्सालय, धर्मशालाव अन्य सार्वजनिक भवनों के लिए आवंटन) नियम 1963 की अवहेलना करते हुए भूमि का आवंटन किया गया है, जो विधि विरूद्ध होकर काबिल खारीज है। तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी, सज्जनगढ़ द्वारा पूर्व में सर्वे नम्बर 623/383 एवं सर्वे नम्बर 495/385 आवंटित करने की अनुशंषा की है। पूर्व के आवंटन को बिना किसी ठोस कारण के जिला कलक्टर, बांसवाडा ने पूर्व में आवंटित आदेश को निरस्त करते हुए सर्वे नम्बर 617/200 की भूमि आवंटित की गई है, जो विधि विरूद्ध है। सर्वे नम्बर 617/200 की भूमि को आवंटन करने में ग्राम पंचायत की कोई आपत्ति नही होने का कथन भी मिथ्या है, क्योंकि आवंटन से पूर्व कोई अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त नही किया गया और वैसे भी बांसवाडा अनुसूचित क्षेत्र में आता है जहां पंचायती राज एक्सटेंशन टू शिड्यूल एरियाज एक्त (संक्षेप में जिसे पेसा) के नाम से जाना जाता है, के प्रावधान लागू है। पटवारी नवागांव ने भूमि आवंटन बाबत चैक लिस्ट में गलत तथ्य अंकित किये है तथा चैक लिस्ट में सभी बिन्दुओं का समावेश नही किया गया है। ग्राम पंचायत नवागांव नवगठित पंचायत है। गावं नवागांव में पंचायत भवन नहीं होने से पंचायत भवन के निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार द्वरा प्रदान की गई है। ग्राम पंचायत भवन के निर्माण हेतु ग्राम नवागांव के लोगो ने काश्त की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 623/383 रकबा 1.00 एकड, सर्वे नम्बर 495/385 रकबा 1.00 एकड कुल रकबा 2.00 एकड भूमि को राज्यहित में समर्पित की गई। उक्त समर्पित मापदण्ड के अनुसार होकर मौके पर भूमि समतल है तथा पास

मे ही आबादी होकर, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नवागांव, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नवागांव संचालित हो रहे है। उक्त भूमि मुख्य सडक बांसवाडा से कुशलगढ़ रोड से 500 मीटर की दूरी एवं ग्राम नवागांव की सडक पर स्थित है। बिजली एवं पानी आबादी के पास होने से सुविधा उपलब्ध है। तथा सर्वे नम्बर 617/200 रकबा 1.00 एकड की भूमि उबड–खाबड होकर एवं पर्याप्त सुविधायुक्त नही है। उक्त भूमि पंचायत भवन बनाने हेतु उपर्युक्त नही होने के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बांसवाडा के आदेश दिनांक 05.02.2016 की पालना में पंचायत प्रसार अधिकारी, गिरदावर, पटवारी, सचिव एवं सरपंच आदि की उपस्थिति में आवंटित भूमि का पर्चा मौका दिनांक 09.02.2016 को बनाया गया है। जिसमें पंचायत भवन बनाना उपर्युक्त नही माना है। तथा ग्राम के काश्तकारों द्वारा समर्पित की गई भूमि को उपर्युक्त मानकर आवंटित करने की सिफारिश की गई है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बांसवाडा के आदेश क्रमांक 190 दिनांक 18.11.2016 के द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सज्जनगढ़ को काश्तकारों द्वारा समर्पित भूमि में पंचायत भवन बनाने का आदेश दिया है। अपील अपीलांट स्वीकार करने एवं जिला कलक्टर, बांसवाडा के आदेश क्रमांक एफ 2 (80) राज./2016/381 दिनांक 26.03.2018 के द्वारा ग्राम पंचायत नवागांव के अटल सेवा केन्द्र हेतु सर्वे नम्बर 617/200 रकबा 1.00 एकड भूमि को वाके ग्राम नवागांव, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाडा को अपास्त कराने तथा भूमि का पुनः स्वरूप कायम कराने एवं अटल सेवा केन्द्र हेतु अपील में वर्णित खातेदारों द्वारा समर्पित की भूमि में से आवंटन कराने के आदेश हेतु निवेदन किया है।

रेस्पोडेंट्स की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी, सज्जनगढ़ की रिपोर्ट की अनुशंषा अनुसार भू–राजस्व (स्कूल, कॉलेज, चिकित्सालय, धर्मशाला एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के लिये भूमि आवंटन) नियम 1963 के नियम 3 (ii) के तहत ग्राम पंचायत नवागांव के भवन निर्माण हेतु अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बांसवाडा जिला बांसवाडा को 99 वर्ष की लीज पर निः शुल्क आवंटन किया गया तथा उनके पूर्व आदेश क्रमांक एफ 2 (80) राज./2016/1952–58 दिनांक 27.04.2017 द्वारा ग्राम अवागांव के खसरा नम्बर 623/383, 495/385 कुल रकबा क्रमशः 1.00, 1.00 कुल किता 2 कुल रकबा 2 एकड किस्म बरडी 2, पडत भूमि

ग्राम पंचायत नवागांव के भवन निर्माण हेतु किये गये आवंटन को निरस्त किया गया है, जो उपयुक्त एवं नियमानुसार है। उपरोक्त आवंटन में रिपोर्ट पटवारी, तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी, सज्जनगढ़ अनुसार आराजी नम्बर 617/200 रकबा 6.68 एकड में से 2.00 एकड भूमि पंचायत क्षेत्र के लोगो के लिए आवगमन सुविधा को देखते हुए उचित स्थान प्रतित होना अवगत कराया है। अपील अपीलांट अस्वीकार किया जाने का निवेदन है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में हम सर्वप्रथम मियाद आवेदन पर निर्णय करना उचित समझते है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्व जानकारी होना प्रमाणित नही है तथा अपीलांट के अखण्डित शपथ पत्र व न्यायहित में मयाद कण्डोन कर श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अब हम प्रकरण में अपीलांट के दफा 96 जा. दी. के आवेदन पर विचार करना उचित समझते है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलाधीन पंचायत नवागांव के भवन निर्माण हेतु जो आराजी नम्बर 617/200 रकबा 1 एकड़ का आवंटन किया गया है। वह आवंटन स्पष्ट रूप से अपीलांट द्वारा पूर्व में उनके द्वारा समर्पित आराजी नम्बर 623/383 रकबा 1 एकड़ एवं आराजी नम्बर 495/385 रकबा 1 एकड़ कुल 2 एकड़ रकबा अपीलांट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का समर्पण कर उक्त 2 एकड़ भूमि का आवंटन पंचायत भवन नवागांव के लिए किया गया था, को खारिज की उसके स्थान पर किया गया है। अपीलांट द्वारा जब अपनी भूमि का समर्पण किया गया तथा उनकी भूमियां राजकीय दर्ज की जाकर पंचायत भवन के लिए उन भूमियों का आवंटन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.04.2017 को कर देने के बाद अपीलांट को बिना सुने दिनांक 26.03.2017 को उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर अन्य भूमि का आवंटन किए जाने से निःसंदेह अपीलांट आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार बनता है, अतएव दफा 96 जा. दी. का आवेदन आधार पर अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी जाती है।

अब हम अपीलांट की अपील पर उभयपक्ष के कथनोपकथन, बहस एवं रेकार्ड का अवलोकन कर अपील के गुणावगुण पर विवेचन करना उचित समझते है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि सक्षम राजस्व

अधिकारियों द्वारा पंचायतीराज, राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद पूर्ण विश्लेषणोंपरांत राजस्व अधिकारियों की मौका एवं उभयपक्ष की उपस्थिति में की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर एवं अति. मुख्य कार्यकारी, जिला परिषद की जांच रिपोर्ट के आधार पर अपने आदेश 1952–58 दिनांक 27.04.2017 से आराजी नम्बर 623/383 रकबा 1 एकड़ एवं आराजी नम्बर 493/385 रकबा 1 एकड़ भूमि का आवंटन जिला कलक्टर द्वारा किया गया। यह आवंटन ग्राम नवागांव में ही किया गया था तथा उक्त भूमि के समतल होने की रिपोर्ट भी उपलब्ध है, पुनः जिला कलक्टर द्वारा पूर्व की राजस्व/पंचायतीराज विभाग के उच्चाधिकारियों की रिपोर्ट ग्राम पंचायत के कतिपय प्रतिनिधियों के विरोध के कारण बिना उच्च स्तरीय जांच के अपने आदेश क्रमांक 381 दिनांक 26.03.2018 से अपास्त कर दिया है। प्रकरण में जब निजी खातेदारों द्वारा समतल भूमि का उसी गांव में समर्पण कर जिला कलक्टर द्वारा ग्राम पंचायत भवन के लिए भूमि आवंटन का आदेश जारी किया जाता है, तो एसी स्थिति में खातेदारों के खाते की भूमि को जो की समतल होकर उसी गांव में है, उसे अपीलांट खातेदार को सुने बिना उनकी समर्पित बिलानाम हुई भूमि का आवंटन आदेश निरस्त कर अन्य भूमि का आवंटन किया जाना प्रथमदृष्टया प्राकृतिक न्याय तथा एवं विधि के विपरीत है।

हम उपरोक्त विवेचना अनुसार अपीलाधीन अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश क्रमांक 381 दिनांक 26.03.2018 जिससे ग्राम नवागांव के लिए पंचायत भवन के लिए आवंटन किया गया है उसे अपील अपीलांट स्वीकार कर अपास्त करते है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित कर निर्देशित करते है कि प्रकरण अपीलांट व अन्य सभी हितधारियों एवं जनप्रतिनिधियों को सुनते हुए जिला स्तरीय राजस्व एवं पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों की एक समिति गठित कर पूर्ण जांच रिपोर्ट प्रापत कर प्रकरण में अजसरे नव निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 13.10.2020 को उपस्थित हो।

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

एल0एन0मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर